अधूखां बनाम सरकार
2023 / 346
निर्णय दिनांकः–26.12.2024

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

प्रार्थना–पत्र संख्याः– 2023 / 346 दर्ज तिथिः–18.09.2023

1. अधूखां पुत्र नसीर
2. आलम पुत्र नसीर
3. आमद पुत्र ईब्राहिम
4. सुभान पुत्र ईब्राहिम
5. खमीशा पुत्र ईब्राहिम
6. मलार पुत्र उस्मान
7. हाजी पुत्र उस्मान
8. अब्दुलरहमान पुत्र रजाक
9. भूटटाखां पुत्र रजाक
10. सकीना पत्नि रजाक
11. आसीयत पत्नी अलीमोहम्मद
12. अलीमोहम्मद पुत्र असरफ
13. मुजिबूरहमान पुत्र असरफ
14. मूरीद पुत्र असरफ
15. हाकम पुत्र असरफ
16. बच्चू पुत्र मोहम्मद
17. रमजान पुत्र मोहम्मद
18. आदम पुत्र मोहम्मद
19. गफूरखां पुत्र हापाखां
20. सुराभखां पुत्र हापाखां
21. अभास पुत्र अमी
22. कायम पुत्र अमी
23. रामत पत्नी अमी
24. उमर पुत्र हैयात
25. अब्दुललतीफ पुत्र गुलाम

जाति सिंधी मुसलमान निवासी मुसलमानों की ढाणी नेहरों का वास तहसील गुडामालानी

बनाम

1. तहसीलदार गुडामालानी
2. तहसीलदार नोखडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:50 IST
Reason: SelfAttested

अधूखां बनाम सरकार
2023 / 346
निर्णय दिनांकः–26.12.2024

3. राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा गुडामालानी
4. एसबीआई बैंक शाखा गुडामालानी
5. बीसीसीबी बैंक शाखा गुडामालानी
6. पीएनबी बैंक शाखा गुडामालानी तहसील गुडामालानी

अप्रार्थी

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः–श्री जगदीश विश्नोई
अप्रार्थीगणः– सरकार

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–131,136
राजस्थान भू–राजस्व अधि.–1956

–:निर्णयः–

निर्णय तिथिः–26.12.2024

1. आज यह पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा–131, 136 के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि
   - कि प्रार्थीगण की प्रार्थना–पत्र में वर्णित तहसील नोखड़ा के अनेक राजस्व गांव में खातेदारी आराजी अवस्थित है। उक्त आराजी के संबंध में प्रार्थीगण की राजस्व रिकॉर्ड में जाती मुसलमान बताई गई है। लेकिन प्रार्थीगण की बोलचाल की भाषा में, पारम्परिक रस्म में, प्रार्थीगण की जाति सिंधी मुसलमान के नाम से बोली जाती है। साथ ही प्रार्थीगण के पैतृक वंशज में जाति सिंधी मुसलमान के नाम से जानी जाती थी। वर्तमान में भी प्रार्थीगण की जाति सिंधी मुसलमान के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार प्रार्थीगण की जाति राजस्व रिकॉर्ड में मुसलमान के स्थान पर सिंधी मुसलमान दुरूस्त की जावे।

2. प्रकरण में बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थी की जाति राजस्व रिकॉर्ड में मुसलमान के स्थान पर सिंधी मुसलमान दुरूस्त कर रिकॉर्ड दुरूस्ती कर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में बहस पर मनन किया गया।

5. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हाल राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया। मुताबिक हाल राजस्व रिकॉर्ड प्रार्थीगण की जाति मुसलमान दर्ज रिकॉर्ड है। साथ ही प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत साबिक राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। उक्त आराजी के साबिक राजस्व रिकॉर्ड में भी प्रार्थी की जाति मुसलमान दर्ज है। इस प्रकार हाल राजस्व रिकॉर्ड व साबिक राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीगण की जाति मुसलमान दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र काबिल–ए–खारिज है। अतः

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:50 IST
Reason: SelfAttested

अधूखां बनाम सरकार
2023 / 346
निर्णय दिनांकः—26.12.2024

आदेश है कि

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 131, 136 के अन्तर्गत प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

उक्त निर्णय की पालना हेतु एक प्रति तहसीलदार गुडामालानी को भिजवायी जावें।

यह आदेश आज दिनांक 26.12.2024 को लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी–बाड़मेर

कार्यालय सहायक कलक्टर/उपखंड अधिकारी गुढ़ामालानी
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.01.22 17:55:50 IST
Reason: SelfAttested